

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-126/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० ज्योत्स्ना, सीनियर रेजिडेन्ट, शिशु रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.03.2026 से 27.08.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-126/2025- 495 (2) पटना, दिनांक 6/13/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० ज्योत्स्ना, सीनियर रेजिडेन्ट, शिशु रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wahmuk 5/5/26
सरकार के उप सचिव